

27.01.2026 वकिल प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि मुलवाद् का निस्तारण हो चुका है। ऐसी सूरत में आवेदन पर आगे चलाने का औचित्य नहीं है। मिट्टाजा प्रार्थी का आवेदन पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।
फ़ावली कैसल सुमार होकर डाखिल इफ्तार हो

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा